न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–अजीत सिंह राजावत, आर.ए.एस

राजस्व अपील संख्या 520/2023

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1. बीरबलराम पुत्र जसवन्ताराम के कायम मुकाम – 1/1 मोहनी पत्नी स्व0 बीरबलराम 1/2 सोमारी पुत्री बीरबलराम 1/3 रूकमा पुत्र स्व0 बीरबलराम 1/4 परमेश्वर उर्फ पप्पू पुत्र स्व0 बीरबलराम 1/5 सुवा पुत्री स्व0 बीरबलराम 2. पपूराम उर्फ परमेश्वर पुत्र बीरबलराम (सभी जाति विश्नोई, निवासी श्रीकृष्ण नगर, तह0 आऊ जिला फलौदी)		1. देवाराम पुत्र बीजाराम 2. अणदाराम पुत्र बीजाराम 3. भगवानाराम पुत्र बीजाराम 4. सुरजाराम पुत्र बीजाराम 5. अर्जुनराम पुत्र बीजाराम 6. निम्बाराम पुत्र बीजाराम 7. अचलाराम पुत्र बीजाराम 8. चैनाराम पुत्र बीजाराम (सभी जाति मेघवाल, निवासी श्रीकृष्ण नगर (चाडी) तह0 आऊ जिला फलौदी)

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश अतिरिक्त जिला कलेक्टर फलौदी दिनांक 26.10.2021 राजस्व अपील संख्या 65/2013 अनवान बीरबलराम व अन्य बनाम देवाराम वगैरा

उपस्थित–
1. श्री चन्द्रप्रकाश चौधरी, वकील अपीलाण्ट
2. श्री कैलाश जयपाल, वकील रेस्पो0 सं0 1 व 2
3. रेस्पो0 सं0 3 बावजूद सूचना के अनुपस्थित

निर्णय

दिनांक 16.04.2023

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अपीलांट्स ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर फलौदी द्वारा राजस्व अपील संख्या 65/2013 बीरबलराम व अन्य बनाम देवाराम वगैरा में पारित आदेश दिनांक 26.10.2021 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

संक्षेप में प्रकरण में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी–रेस्पो0सं0 1 ने न्यायालय तहसीलदार फलौदी के समक्ष अंतर्गत धारा 183 (बी) आर.टी.एक्ट, 1955 के तहत प्रस्तुत कर तहसील फलौदी स्थित ग्राम श्रीकृष्ण नगर के वादग्रस्त खसरा नं0 1548

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

रकबा 33 बीघा कृषि भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण–रेस्पो0 की संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त की होने से उक्त भूमि पर अप्रार्थी सं0 1 व 2–अपीलांट्स का कब्जा हटाने का आग्रह किया गया। तहसीलदार फलौदी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादग्रस्त खसरान की भूमि से अपीलांट–अप्रार्थी सं0 1 व 2 को बेदखल कर, राजस्व रेकर्ड में दर्ज खातेदारान को सुपूर्द करने का आदेश दिनांक 16.5.13 पारित किया गया। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलांट्स–अप्रार्थी सं0 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय–अति0 जिला कलेक्टर फलौदी के समक्ष राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 के तहत प्रथम अपील प्रस्तुत की गई, जो दिनांक 26.10.2021 को अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज कर दी गई। इससे व्यथित होकर अपीलांट्स ने न्यायालय हाजा के समक्ष आरएलआर एक्ट की धारा 76 के तहत यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील के साथ अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा करने हेतु अवधि गणनार्थ अधिनियम की धारा 05 के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। जो न्यायहित में स्वीकार कर अपील का गुणावगुण पर परीक्षण किया गया।

बहस सुनी गई। वकील अपीलांट्स ने अपनी बहस में अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः यह निवेदन किया कि संवत् 2007 में वादग्रस्त खसरान की भूमि का बेचान रेस्पोडेंट्स के पिता बीजाराम द्वारा अपीलांट्स के पिता को वक्त खरीद 70/– रूपये में करने से मौके पर कब्जा व ढाणियां बना दी गई थी तथा वक्त सेटलमेंट से पूर्व कब्जा काश्त है। बींजाराम वादग्रस्त भूमि बेचकर पंजाब मजदूरी करने चला गया था। संवत् 2012 में वक्त सेटलमेंट भूलवश पर्चा लगान रेस्पो0 के पिता बीजाराम के नाम बना दिये जाने से वादग्रस्त भूमि रेस्पो0 के परिवार के नाम दर्ज हो गई। पटवारी की मौका रिपोर्ट में भी वक्त सेटलमेंट से पूर्व इस पर अपीलांट्स के परिवार का कब्जा माना गया है। आरटीएक्ट की धारा 42 टिनेन्सी एक्ट लागू होन की दिनांक 15.10.1955 के बाद से ही मानी जावेगी। इस कारण धारा 42 टिनेन्सी एक्ट के प्रावधान इस मामले में लागू नही होने से तहसीलदार फलौदी द्वारा अपीलांट्स को बेदखल करने का आदेश विधि विरूद्ध है। अपीलांट्स द्वारा तहसीलदार फलौदी के उक्त आदेश के विरूद्ध न्यायालय अति0 जिला कलेक्टर फलौदी में अपील प्रस्तुत की गई। जो गुणावगुण पर निर्णित किये बिना अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.10.2021 द्वारा

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज कर दी गई। उस समय कोरोना काल में अपीलांट्स की मृत्यु हो जाने से मृत व्यक्ति के कायम मुकाम को रेकर्ड पर लिए बिना पारित शून्य आदेश निरस्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार कर दोनों अपीलाधीन निरस्त का आग्रह किया गया।

जवाब में रेस्पो0–प्रार्थी सं0 1 व 3 से 9 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में मुख्यतः यह निवेदन किया कि उक्त अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है। अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष चाराजोही हेतु Alternate Remedy उपलब्ध है। अतः अपील खारिज फरमाने का आग्रह किया गया।

उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली व उसके सलंग्न दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। आलौच्य प्रकरण में अपीलांट्स का मुख्य कथन यह है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील का निस्तारण गुणावगुण पर नही कर, कोरोना काल में अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज कर दी गई, जो न्याय हित में नही है।

अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जाता है तथा उक्त प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह दोनो पक्षों को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान कर प्रकरण में गुणावगुण पर विधिसम्मत निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 16 अप्रेल, 2024 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

16.04.24

(अजीत सिंह राजावत)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर